भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3578

(सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट नेतृत्व में महिलाएं

3578. सुश्री सयानी घोषः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) और बोर्ड सदस्यों के रूप में कार्य कर रही महिलाओं की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने वरिष्ठ कारपोरेट नेतृत्व में महिलाओं के प्रतिनिधित्व तथा उनकी प्रगति को प्रभावित करने वाली प्रमुख बाधाओं का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने महिला निदेशकों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा कारपोरेट नेतृत्व और बोर्ड-स्तरीय निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या कारपोरेट शासन में लैंगिक विविधता में सुधार लाने के लिए सरकार के समक्ष कोई लक्ष्य, प्रोत्साहन या नीतिगत हस्तक्षेप विचाराधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 2(51) में कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को परिभाषित किया गया है, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रबंध निदेशक (एमडी) या प्रबंधक, कंपनी सचिव (सीएस), पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), निदेशक से एक स्तर से अधिक नीचे के ऐसे अन्य अधिकारी शामिल हैं जो बोर्ड द्वारा प्रमुख प्रबंधकीय कामकों के रूप में नामित पूर्णकालिक रोजगार में हैं।

अधिनियम के प्रावधान "अध्यक्ष" शब्द को मान्यता देते हैं और उपयोग करते हैं लेकिन अध्यक्ष के पद को परिभाषित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) के पद को भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, मंत्रालय एमसीए21 डाटाबेस में अध्यक्ष, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारियों (सीटीओ) के संबंध में आंकडे नहीं रखता है।

टर्नओवर के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में एमसीए21 डेटाबेस में उपलब्ध सूचना के आधार पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), प्रबंध निदेशक (एमडी), स्वतंत्र निदेशक (आईडी), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) के रूप में सेवारत महिलाओं का श्रेणी-वार विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

(ख): इस अधिनियम के अंतर्गत ''कारपोरेट नेतृत्व'' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। कारपोरेट बोर्ड स्तर पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 149 (1) के दूसरे प्रावधान में दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और प्रत्येक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसकी चुकता शेयर पूंजी 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है या जिसका कारोबार 300 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उसे अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति अवश्य करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, किसी महिला निदेशक के किसी भी अस्थायी रिक्त पद को बोर्ड द्वारा यथाशीघ्र भरा जाएगा, लेकिन तत्काल अगली बोर्ड बैठक के बाद या ऐसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के बाद, जो भी बाद में हो भरा जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 4 में यह प्रावधान है कि कोई कंपनी बोर्ड या समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान कर सकती है। उक्त नियम में आगे यह भी प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशकों के मामले में, बैठक शुल्क अन्य निदेशकों को देय बैठक शुल्क से कम नहीं होगा।

एमसीए के पास फाइलिंग के अनुसार, सक्रिय कंपनियों से जुड़ी महिला निदेशकों की कुल संख्या 11,60,933 है और सक्रिय कंपनियों से जुड़े निदेशकों की कुल संख्या 39,99,656 है।

इस मंत्रालय द्वारा महिला निदेशकों की प्रगति में आने वाली बाधाओं के संबंध में ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग): जी, हां महोदया। महिला निदेशकों की नियुक्तियों की सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के संबंध में कार्रवाई का ब्यौरा अनुलग्नक ख में दिया गया है।

(घ): कारपोरेट बोर्ड स्तर के निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय द्वारा किए गए उपाय उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में दिए गए हैं।

(ङ): उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय के समक्ष ऐसा कोई विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेप विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक क

दिनांक 10.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3578 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एमसीए के पास की गई फाइलिंग के अनुसार, शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का श्रेणी-वार विवरण (टर्नओवर के आधार पर) इस प्रकार है:

क्रम संख्या	**पद**	**महिलाओं की कुल संख्या, श्रेणीवार**
1.	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)**	9
2.	**प्रबंध निदेशक**	25
3.	**कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)**	67
4.	**स्वतंत्र निदेशक**	638
5.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)**	22
6.	**निदेशक/बोर्ड के सदस्य***	860

* **निदेशकों में अपर निदेशक** (18), **निदेशक** (738), **प्रबंध निदेशक** (25), **नामित निदेशक** (12) **और पूर्णकालिक निदेशक** (67) **शामिल हैं।**

अनुलग्नक - ख

दिनांक 10.08.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3578 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

1. **कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा पारित न्यायनिर्णयन आदेशों की संख्या**

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**ऐसे मामलों की संख्या जिनमें न्यायनिर्णयन आदेश पारित किया गया**	**जुर्माने की प्राप्त राशि (रुपये में)**
1	2021-2022	2	6,10,500
2	2022-2023	10	14,58,500
3	2023-2024	19	22,61,000
4	2024-2025	11	15,28,000
5	2025-2026	8	12,43,500
	कुल	50	71,01,500